

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.05.2024	<p>सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक दौसा बनाम राजेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र भीमाराम माली किस्म मुकदमा : इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा एक्ट</p> <p>मु0नं0 38/2014</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल राजेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र भीमाराम जाति माली निवासी पाखर सायपुर थाना मण्डावर जिला दौसा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने बाबत इस्तगासा जरिये पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा दिनांक 4.3.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल की तलबी हेतु पूर्व में जारी नोटिस की तामील में अंकितानुसार राजेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र भीमाराम जाति माली नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस्तगासे में नाम गलत होने की स्थिति में गैरसायल के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः इस्तागासा इस आशय के साथ खारिज किया जाता है कि गैरसायल एवं उससे सम्बन्धित नवीन अपराधिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार अपेक्षित हो तो नवीन इस्तगासा पेश किया जा सकता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 27.5.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

